पांच को होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग

जासं, रांची : लीगल लिटरेसी क्लब खोलने को लेकर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष डीएन पटेल की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पांच दिसंबर को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर से 500 विद्यालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया।

चयनित सभी विद्यालयों में ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराने, दस दिसबंर को आयोजित कार्यक्रम को लेकर यातायात व अतिथियों की सुरक्षा पर विमर्श किया गया। अधिकारियों को बताया गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर से तीन बजे लीगल लिटरेसी क्लब का उद्घाटन पूरे राज्य में ऑनलाइन किया जाना है। हाई कोर्ट परिसर में यूनिवर्सिटी लोक अदालत आयोजित करने पर भी बात हुई। जस्टिस डीएन पटेल ने अधिकारियों को कहा कि झारखंड न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में हमेशा से अग्रसर है। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, डीजीपी डीके पांडेय आदि मौजूद थे।

हाई कोर्ट में अधिकारियों के साथ बैठक करते न्यायाधीश डीएन पटेल।

कोर्ट-कचहरी के चक्कर से मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, रांची : राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व गैरशैक्षणिक कार्य से जुड़े कर्मियों के लिए खुशखबरी। उन्हें अब कोर्ट-कचहरी के चक्कर से निजात मिलेगी। वर्षों से लंबित वाद कम समय में निपटेंगे अर्थात त्वरित न्याय मिलेगा। ऐसे में कर्मी अनावश्यक खर्च व समय की बर्बादी से बच सकेंगे।

इसकी तैयारी चल रही है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से दस दिसंबर को तृतीय यूनिवर्सिटी लोक अदालत लगेगी। इसमें न्यायालय में लंबित व प्री-लिटिगेशन के दो हजार से अधिक मामले निष्पादित करने की योजना है। सैकड़ों मामले कोर्ट-कचहरी पहुंचने के पूर्व निपटेंगे। झालसा की इस पहल से कर्मियों को अदालतों तक जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। मामलों के निष्पादन में पक्षकारों के बीच 100 करोड़ रुपये के भुगतान की उम्मीद है।

यूनिवर्सिटी लोक अदालत में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रघुवर दास, शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर बानुमति सहित झारखंड हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल सहित झारखंड हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश व प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे।

आपसी सहमति से निपटेंगे विवाद

यूनिवर्सिटी लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों के समक्ष दोनों (वादी-प्रतिवादी) पक्ष आपसी सहमति से निष्कर्ष निकालेंगे। दोनों पक्षों की संयुक्त सहमति से अधिक से अधिक मुकदमों का निष्पादन किया जाएगा। निष्पादन के बाद कोई आपत्ति नहीं रहेगी और इसे उच्च अदालतों में चुनौती भी नहीं दी जा सकती।

त्वरित न्याय

- तृतीय यूनिवर्सिटी लोक अदालत 10 को
- एक दिन में निपटेंगे दो हजार से अधिक मामले

निपटाए जाएंगे छह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले

राज्य के छह विश्वविद्यालयों से जुड़े मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इनमें रांची यूनिवर्सिटी रांची, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी, मेदिनीनगर पलामू, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, सिद्धो-कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका व बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी रांची शामिल है।

261 लोगों को मिल चुका है न्याय : यूनिवर्सिटी लोक अदालत राज्य में इसके पहले दो बार लग चुकी है। 261 मामले निष्पादित हुए थे। देश स्तर पर 13 मई 2012 को न्याय सदन झालसा में लगी लोक अदालत में 131 मामले निष्पादित हुए थे। पक्षकारों के बीच 3.85 करोड़ रुपये का समझौता हुआ था।

नई पहल : देश का पहला राज्य होने का खिताब हासिल करेगा झारखंड

स्कूली बच्चे हासिल करेंगे कानूनी ज्ञान

- 10 दिसंबर को रांची से होगा ऑनलाइन उद्घाटन
- 500 विद्यालयों में एक साथ लीगल लिटरेसी क्लब
- गुरु की भूमिका में होंगे, जज वकील व पुलिस अधिकारी

बिजय कुमार ठाकुर, रांची

नई सोच। नई पहल। कानून की शिक्षा व कानूनी जागरूकता के लिए अनूठी पहल। स्कूली बच्चों को दी जाएगी कानून की शिक्षा। गुरु की भूमिका में होंगे जज, अधिवक्ता, पुलिस पदाधिकारी और चिकित्सक। जल्द वह सपना साकार होने वाला है। दस दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा।

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से बच्चों में कानूनी शिक्षा के उद्देश्य से राज्य के 500 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब खोलने की तैयारी चल रही है। शिक्षा और कल्याण विभाग झारखंड सरकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल विद्यालय, आश्रमशाला व उच्च विद्यालय में एक साथ लीगल लिटरेसी क्लब खोलकर झारखंड इस मामले में देश का पहला प्रदेश हो जाएगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से होगा आगाज : 10 दिसंबर को राज्य के 500 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का ऑनलाइन उद्घाटन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर से किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा मौजूद रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री लुईस मरांडी, शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर बानुमति के साथ-साथ झारखंड हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मोहंती, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल, न्यायाधीश एचसी मिश्रा सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहेंगे।

अव्वल विद्यार्थी होंगे पुरस्कृत : क्लब के उद्घाटन के पूर्व चयनित 500 विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच मौलिक अधिकार व कर्तव्य पर निबंध व चित्रांकन प्रतियोगिता बालक व बालिका वर्ग के बीच होगी।

इसके माध्यम से आकलन किया जाएगा कि विद्यार्थियों को कानून की कितनी जानकारी है। दोनों वर्गों में राज्य स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय व तृतीय को मुख्य आयोजन के दौरान ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। जिलास्तर पर चयनित विद्यार्थी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूर्ण किया जाना है।

बुकलेट व पुस्तक : लीगल लिटरेसी क्लब में कानून से संबंधित पुस्तक, पंफलेट व बुकलेट रहेंगे, जिसका अध्ययन विद्यार्थी व शिक्षक करेंगे। 250 सेट पुस्तकें दी जाएंगी। एक सेट में कानून से जुड़े 46 पुस्तकें हैं। प्रत्येक 15 दिनों में कानूनी जागरूकता के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा न्यायाधीश, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सक, पैनल अधिवक्ता आदि लेंगे। तीन माह के अंतराल में एक सेमिनार, छह माह पर राज्यस्तरीय सेमिनार का आयोजन होगा। इसके अलावा एक वर्ष पर झालसा की ओर से विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा।

भविष्य में अच्छे नागरिक बनाना उद्देश्य

विद्यार्थियों को छोटी कक्षा से देश की कानून के प्रति जानकारी देना, उनके अधिकार को बताना, कानून तोड़ने पर दंड के प्रावधान आदि के बारे में जानकारी देने के मकसद से क्लब खोलने का निर्णय किया गया है।

...मिलेगी जानकारी : बच्चों को विशेष तौर पर मौलिक अधिकार व कर्तव्य, राष्ट्रीय ध्वज, बाल विवाह, धूमपान रोकना, महिला अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, छेड़छाड़, डायन कुप्रथा आदि से संबंधित कानूनी पहलुओं के बारे में विद्यार्थियों को पुस्तकों से जानकारी मिलेगी।

लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आएगी रांची : लीगल लिटरेसी क्लब के उद्घाटन व उसके गतिविधियों का आकलन करने के लिए दस दिसंबर को लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी झारखंड आएगी।

झालसा की ओर से राज्य के विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब खोले जाने की व्यापक तैयारी चल रही है। झारखंड देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त करेगा, जहां एक साथ 500 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब खोला जा रहा है। इससे समाज में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

- एके राय, सदस्य सचिव, झालसा

पांच को होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग

जासं, रांची : लीगल लिटरेसी क्लब खोलने को लेकर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष डीएन पटेल की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पांच दिसंबर को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर से 500 विद्यालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया।

चयनित सभी विद्यालयों में ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराने, दस दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम को लेकर यातायात व अतिथियों की सुरक्षा पर विमर्श किया गया। अधिकारियों को बताया गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर से तीन बजे लीगल लिटरेसी क्लब का उद्घाटन पूरे राज्य में ऑनलाइन किया जाना है। हाई कोर्ट परिसर में यूनिवर्सिटी लोक अदालत आयोजित करने पर भी बात हुई। जस्टिस डीएन पटेल ने अधिकारियों को कहा कि झारखंड न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में हमेशा से अग्रसर है। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, डीजीपी डीके पांडेय आदि मौजूद थे।

हाई कोर्ट में अधिकारियों के साथ बैठक करते न्यायाधीश डीएन पटेल।